प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना – द्वितीय चरण
दिशा –निर्देश

1. **नाम एवं विस्तार** – इस योजना का नाम " **प्रतीक्षा बस स्टैंड योजना – द्वितीय चरण** " है। यह योजना राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नये बस स्टैंड निर्माण की योजना है । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा प्रसारित पूर्व योजना के अनुसार 30 लाख रू की स्वीकृति देकर अनुदान के रूप में 80 प्रतिशत राशि अर्थात 24 लाख रू. दिये जाने का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत अभी तक प्रतीक्षा बस स्टैण्ड की योजना के अंतर्गत 46 नगरीय निकायों में स्वीकृति प्रदान की गई है। अब यह योजना शत्प्रतिशत अनुदान के आधार पर प्रदेश के शेष 64 निकायों में बदले हुए स्वरूप में लागू की जा रही है।

2. **उद्देश्य** : राज्य के अनेक नगरों में बसों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । बसों की प्रतीक्षा के लिए विश्रामालय, टिकट घर, पेयजल, टायलेट, रिक्शा/आटों स्टैंड, पुलिस सहायता केन्द्र, आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें तथा बसों के रूकने एवं सरकुलेशन की उचित व्यवस्था के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है ।

3. **योजनांतर्गत लिये जा सकने वाले कार्य :**

- बस स्टैण्ड और प्लेट–फार्म निर्माण
- यात्री प्रतीक्षालय भवन निर्माण, टैक्सी, रिक्शा, सायकल, स्कूटर, पार्किंग स्थल का निर्माण ।
- पेयजल, टायलेट, टिकट घर तथा अन्य अनुषांगिक सुविधा
- व्यवसायिक परिसर का निर्माण ।
- पंहुच हेतु आवश्यकतानुसार सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण, प्रकाश व्यवस्था
- पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल/पंप स्थापना आदि कार्य

4. योजना का स्वरूप :

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि नगर विकास निधि से उपलब्ध कराई जावेगी। योजना के अंतर्गत बस स्टैंड के समीप, उसी परिसर में, उचित स्थान का चयन कर व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जावेगा जिससे प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग संबंधित नगरीय निकायों के द्वारा बस स्टैंड भवन तथा परिसर के रख–रखाव एवं संधारण में और अन्य परिसम्पत्तियों के निर्माण में किया जावेगा। योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार अनुदान दिया जावेगा :–

क्र	नगरीय निकाय का नाम	अधिकतम परियोजना लागत	बस स्थानक की लागत	दुकानों की लागत
1.	नगर पालिक निगम	50.00 लाख	30.00	20.00
2.	नगर पालिका परिषद	33.00 लाख	20.00	13.00
3.	नगर पंचायत	17.00 लाख	10.00	07.00

5. योजना के आदर्श प्राक्कलन और ड्राइंग जो तकनीकी प्रकोष्ठ से अनुमोदित हैं, दिशा निर्देशों के साथ संलग्न हैं। प्रत्येक स्थल में विनिर्दिष्ट विशेषताओं के अनुरूप स्वीकृत वित्तीय सीमा के भीतर प्राक्कलन में आवश्यक संशोधन किया जावे।

6. प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा –

- योजना हेतु निकाय के महापौर–परिषद/अध्यक्ष–परिषद/परिषद का संकल्प
- चयनित भूमि का निकाय के अधिपत्य में होने के प्रमाण में भू–अभिलेख
- तकनीकी प्रतिवेदन जिसमें स्थल की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित कार्यो का (आयटम) का उल्लेख करते हुए प्रावधानित स्पेशिफिकेशन का संक्षिप्त विवरण, चयनित भूमि का विवरण, प्रावधानित सुविधाओं एवं प्रयुक्त एस.ओ. आर. तथा विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था पर टीप देते हुए संलग्न किया जाना चाहिए
- योजना के संबंध में प्रचलित नियमों के अंतर्गत वैधानिक स्वीकृतियां निकाय द्वारा प्राप्त की जावे।

- उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर, आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।
- योजना स्थल पर 1.8 मीटर X 1.2 मीटर आकार का बोर्ड, विवरण दर्शाते हुए लगाया जाना चाहिए ।
- योजना के अंतर्गत निर्मित दुकानों का अंतरण, अचल संपत्ति अंतरण नियमों के अंतर्गत किया जावे ।

5. वित्तीय व्यवस्था :

योजना के कियान्वन के लिए आवश्यक धनराशि **नगर विकास निधि** से उपलब्ध कराई जावेगी। योजना के अंतर्गत बस स्टैंड के समीप, उसी परिसर में, उचित स्थान का चयन कर व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जावेगा । योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार अनुदान दिया जावेगा :–

(राशि रू. लाखों में)

क्र	नगरीय निकाय का प्रकार	अधिकतम परियोजना लागत	बस स्थानक की लागत	दुकानों की लागत
1.	नगर पालिक निगम	50.00	30.00	20.00
2.	नगर पालिका परिषद	33.00	20.00	13.00
3.	नगर पंचायत	17.00	10.00	07.00

2. अनुदान की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा दो किस्तों में जारी की जावेगी । प्रथम किस्त के उपयोग का प्रमाण–पत्र और भौतिक प्रगति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अगली किस्त जारी की जावेगी ।

निर्माण के उपरांत रख रखाव :

1. परिसर के रख–रखाव एवं संधारण हेतु राज्य शासन से राशि नहीं दी जावेगी।

2. निर्माण के उपरांत बस स्टैंड स्थल के उचित रख–रखाव हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन निकाय के महापौर/अध्यक्ष अपने विवेक से कर सकते है। इस समिति में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं निकाय अभियंता स्थायी सदस्य हो सकते है । प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को निजी क्षेत्रों से संचालित किया जा रहा है, अतः बस आपरेटरों से सहयोग राशि तथा परिसर में संचालित व्यवसायिक उपक्रमों से होने वाले

आय से संधारण की कार्यवाही की जावेगी। इस राशि का निर्धारण महापौर–परिषद्/ अध्यक्ष – परिषद् द्वारा किया जाएगा ।

9. **लेखा संधारण**

1. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) नोडल एजेंसी होगी ।
2. राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार, लेखाओं का संधारण निकाय स्तर पर प्रत्येक संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जावेगा जिसके आधार पर आगामी किस्तों का निर्गमन किया जा सकेगा ।

   इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी और उसका उपयोग केवल इसी योजना के लिए किया जावेगा। उक्त खाता में प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि भी इस योजना का भाग माना जाएगा ।

संलग्न : आदर्श प्राक्कलन एवं नक्शा

Lkpanigrahi
30.1.06
(एल.के.पाणिग्रही)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग